

मि०न० - 79/2026

अनवान : -

- पंचायत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.
- 1 शोकत अली जोईया पुत्र सुल्तान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड 03 नई खुन्जा हनुमानगढ ज. तहसील व जिला हनुमानगढ ।
बनाम्
वादी
 - 1 रहमत बेगम पत्नी सुल्तान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न. 03 नई खुन्जा हनुमानगढ ज. व जिला हनुमानगढ ।
 - 2 इरशाद बेगम पत्नी लियाकत अली निवासी वार्ड न. 03 नई खुन्जा हनुमानगढ ज. व जिला हनुमानगढ ।
 - 3 लियाकत अली जोईया पुत्र सुल्तान मोहम्मद निवासी वार्ड न. 03 नई खुन्जा हनुमानगढ ज. व जिला हनुमानगढ ।
 - 4 अनारा बेगम पुत्री सुल्तान मोहम्मद पत्नी युसुफ अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड 08, 17 केएनडी ए श्रीगंगानगर ।
 - 5 मारूफा बेगम पुत्री सुल्तान मोहम्मद पत्नी शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खैरुवाला त0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी व प्रतिवादी सं० 2 को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है-

क. वादी शोकत अली जोईया को प्राप्त आराजी :- चक नं० 15 सीडीआर के खाता सं० 80/103 में अंकित कुल 0.810 है० आराजी तथा चक नं० 15 सीडीआर के खाता सं० 5/87 में अंकित कुल 0.506 है०

ख. प्रतिवादीया सं० 2 इरशाद बेगम को प्राप्त आराजी :- चक नं० 5 एस. आर डबल्यू के खाता सं० 11/100 में अंकित 0.759 है० आराजी में सुलतान मोहम्मद के 1/2 हिस्सा की आराजी। इसी प्रकार चक 15 सीडीआर के खाता सं० 80/103 में से रहमत बेगम का नाम कलमजन तथा चक न. 15 सीडीआर के खाता सं० 5/87 में से इरशाद बेगम का नाम कलमजन तथा चक न. 5 एसआरडबल्यू के खाता सं० 11/100 में से सुलतान मोहम्मद का नाम कलमजन किया जाकर यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 17/8/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन (सत्यनारायण)
टिब्बी

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़